आइन्दा दिनांक 06/2/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

06/2/25 आज यह पत्रावली बोल्स आदेश पेश की गई। कमील कार्ड उपरोक्त पत्रावली का अध्ययन किया गया। अतः प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 136 LRAct न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुदा होकर नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– रामकिशोर मीना–II (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना न0 :– 60 / 2024
दायर दिनांक :– 04 / 11 / 2024
निर्णय दिनाक :– 06/02/25

उनवान

1. कंवर सिंह पुत्र लेखराम जाति अहीर निवासी कल्याणपुरा तहसील बहरोड़।

......वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बहरोड तहसील बहरोड़।

.........अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थित :– श्री विरेन्द्र कुमार यादव अधिवक्ता प्रार्थीगण

–: निर्णय :–

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते आदेश हेतु पेश की गई। हमारे द्वारा पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि यह है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1204 रकबा 0.47 है0 1205 रकबा 0.51 है0 1206 रकबा 0.52 है., 1207 रकबा 0.47 है., 1208 रकबा 0.61 है0 1210 रकबा 0.66 है0 1211 रकबा 0.64 कुल किता 7 कुल रकबा 3.88 है0 वाके ग्राम बर्डोद तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान में स्थित है जिसमें प्रार्थी 1/8 भाग का खातेदार राजस्व रिकार्ड दर्ज है तथा इसी अनुसार मौके पर काबिज है एवं हाल खसरा नम्बर 628 रकबा 0.19 हैक्टेयर वाके ग्राम कल्याणपुरा तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज. में स्थित है जिसमें प्रार्थी 1/3 भाग का खातेदार राजस्व रिकार्ड दर्ज है तथा इसी अनुसार मौके पर काबिज है। प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम कंवर सिंह पुत्र लेखराम है यही नाम प्रार्थी के आधार कार्ड, कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज तथा सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि में दर्ज है तथा आराजी हाल खसरा नम्बर 628 वाके ग्राम कल्याणपुरा तहसील बहरोड़ के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में भी प्रार्थी का सही नाम कंवर सिंह पुत्र लेखराम दर्ज है लेकिन आराजी हाल खसरा नम्बर 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1210, 1211 वाके ग्राम बर्डोद तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज. में प्रार्थी का नाम सुरेन्द्र पुत्र लेखराम गलत दर्ज हो गया जो प्रार्थी का गांव का मुंह बोला नाम है जो गलत इन्द्राज उक्त खसरा नम्बरान के राजस्व रिकार्ड में रिपीट होते चले आ रहे है। जमाबन्दी की नकल संलग्न है। प्रार्थी को उक्त खसरा नम्बरान में अपने गलत नाम की जानकारी नहीं थी। लेकिन अब प्रार्थी अपने किसी निजी कार्य के लिए अपनी सम्पूर्ण जमीन की जमाबन्दी निकलवाई तब पता चला कि उक्त खसरा नम्बरान 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1210, 1211 वाके ग्राम बर्डोद तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज. में प्रार्थी का नाम सुरेन्द्र पुत्र लेखराम गलत दर्ज हो गया जो प्रार्थी का गांव का मुंह बोला नाम है। इसलिए प्रार्थी उक्त आराजीयात में दर्ज अपने गलत नाम की शुद्धी करने के लिए पटवारी हल्का को कहा गया तो पटवारी हल्का ने कहा कि तहसीलदार साहब से आदेश लेकर आओ तो प्रार्थी श्रीमान् तहसीलदार साहब से मिला तो तहसीलदार साहब ने रिकार्ड देखकर कहा कि इसकी शुद्धी राजस्व न्यायालय में धारा 136 आर.टी.एक्ट. के तहत प्रार्थना पत्र पेश करके करवाओं इसलिए प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। मन प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम कंवर सिंह पुत्र लेखराम है। लेकिन उक्त आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकार्ड में सहवन से प्रार्थी का गांव में मुंह बोला गलत नाम सुरेन्द्र पुत्र लेखराम गलत दर्ज कर दिया गया। मिन प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

का यही नाम राजस्व रिकार्ड में सहवन से गलत अंकित हो गया जिसे बिना प्रार्थी शुद्ध करवाकर वास्तविक नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। ऐसी सूरत में प्रार्थी के आधार कार्ड, मतदाता पहचान, पैन कार्ड, राशन कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेजों एवं सरपंच प्रमाण पत्र एवं आराजी हाल खसरा नम्बर 628 वाके ग्राम कल्याणपुरा के आधार पर उक्त आराजीयात वाके ग्राम बर्डोद के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खसरा गिरदावरी के खातेदारी कॉलम में जहां पर सुरेन्द्र पुत्र लेखराम अंकित है उसे शुद्ध किया जाकर सुरेन्द्र पुत्र लेखराम के स्थान पर कंवर सिंह पुत्र लेखराम दर्ज किया जाने का आदेश पारित किया जाना न्याय संगत है। प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान वाके ग्राम बर्डोद तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज. में स्थित है जिसमें प्रार्थी के नाम की गलती राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई है जो एक क्लेरिकल गलती है जिसे शुद्ध करने का प्रार्थी पत्र श्रवण करने का क्षेत्राधिकार श्रीमान् को है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेजों, सरपंच प्रमाण पत्र एवं आराजी हाल खसरा नम्बर 628 वाके ग्राम कल्याणपुरा के आधार पर खसरा नम्बर 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1210, 1211 वाके ग्राम बर्डोद तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज. के खातेदारी कॉलम में जहां पर सुरेन्द्र पुत्र लेखराम अंकित है उसे शुद्ध किया जाकर सुरेन्द्र पुत्र लेखराम के स्थान पर कंवर सिंह पुत्र लेखराम दर्ज किया जाने का आदेश पारित किया जाने की कृपा करे।

राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जाकर कोई आपत्ति पेश नही की है।

हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी तथा पत्रावली का अध्ययन किया तथा वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। जमाबन्दी संवत 2074–2077 के खाता नम्बर 143 ग्राम कल्याणपुरा में प्रार्थी का नाम कंवर सिंह पुत्र लेखराम हिस्सा 1/3 दर्ज है। ग्राम बर्डोद की विवादित आराजी खसरा नम्बर 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1210, 1211, जमाबन्दी संवत 2073 से 2073 में प्रार्थी का नाम सुरेन्द्र पुत्र लेखराम दर्ज हो गया। संरपंच ग्राम पंचायत काकरदोपा ने अपने प्रमाण पत्र दिनांक 31.07.2024 से प्रमाणित किया है कि सुरेन्द्र पुत्र लेखराम व कंवरसिंह पुत्र लेखराम दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है। गुलाब देवी पत्नि लेखराम जाति अहीर निवासी कल्याणपुरा फौत हो चुके है जिसके वारिस महेन्द्र व कंवर सिंह है। प्रार्थी अपना नाम अपने अन्य दस्तावेजात के अनुसार सुरेन्द्र पुत्र लेखराम की वजाय कंवरसिंह पुत्र लेखराम दर्ज करवाना चाहता है। तहसीलदार बहरोड़ को कोई आपत्ति नही है। हम प्रार्थी का नाम सुरेन्द्र पुत्र लेखराम की वजाय कंवरसिंह पुत्र लेखराम दर्ज करना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1210, 1211, वाके ग्राम बर्डोद तहसील बहरोड में सुरेन्द्र पुत्र लेखराम की कलमजन कंवरसिंह पुत्र लेखराम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी प्रकार से राजस्व अभिलेख को संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। अहकाम बनाम तहसीलदार बहरोड़ जारी करे।

आज दिनांक 06/7/25 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
(कोटपूतली–बहरोड)